संख्या-50/2022/1734-ई-2/तेरह-2022-239/99-459830

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

विषय: मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी), द्वारिकेश नगर, जनपद बिजनौर को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-230/दो-प्रा.डी.-125 दिनांक 10-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 10-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि. (आसवनी), द्वारिकेश नगर, जनपद बिजनौर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/ शुगर सीरप से एथनॉल/अल्कोहल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(क) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05-07-2021 एवं 27-09-2022 में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाएगा।

(ख) आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र दिनांक 26-08-2022 द्वारा जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनाल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है, का अनुपालन किया जायेगा।

(ग) इकाई द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(घ) आसवनी में केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किए जाने पर देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरा नीति के अनुसार शीरा/ई.एन.ए. की देयता लागू रहेगी। आसवनी द्वारा केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन में प्रयोग किए गये गन्ने के आधार पर उसके समूह की दूसरी चीनी मिल से सी.-हैवी/बी-हैवी शीरे की देशी मदिरा निर्माण के लिए आपूर्ति की जायेगी।

(ङ) इकाई द्वारा गुड मन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।